भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./71/2024 **18 अप्रैल, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) के अधीन 'परिसमापकों की फीस के संदर्भ में स्पष्टीकरण' शीर्षक वाले तारीख 28 सितम्बर, 2023 के परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./61/2023 का आंशिक उपांतरण

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आई.बी.बी.आई.) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 4 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) के अधीन 'परिसमापकों की फीस के संदर्भ में स्पष्टीकरण' शीर्षक वाला तारीख 28 सितम्बर, 2023 का एक परिपत्र जारी किया था।

1.1 इसके अतिरिक्त, बाम्बे उच्च न्यायालय ने अमित गुप्ता बनाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और भारत संघ(2023 की रिट याचिका (लाजिंग) सं. 34701) वाले मामले में तारीख 4 अप्रैल, 2024 के आदेश द्वारा परिपत्र के शेष पैराओं की विधिमान्यता को अभिपुष्ट करते हुए, पैराग्राफ 2.1('वसूल की गई रकम') और पैराग्राफ 2.5('फीस की संगणना के लिए अवधि') को अभिखंडित कर दिया ।

1.2 तदनुसार, इस परिपत्र द्वारा, 28 सितम्बर, 2023 के उक्त परिपत्र का पैरा 2.1 और पैरा 2.5 वापस लिया जा रहा है ।

1.3 ऐसे आई.पी., जिन्होंने तारीख 28 सितम्बर, 2023 के परिपत्र के संबंध में कोई अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया है, एतदद्वारा तारीख 28 सितम्बर, 2023 के परिपत्र के शेष भागों का 31 मई, 2024 को या उससे पूर्व अनुपालन करने का और उसकी प्रास्थिति के बारे में आई.बी.बी.आई. को इलैक्ट्रानिक रूप से आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर सूचित करने का एक अवसर दिया जाता है ।

2. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय
हस्ता.
(राजेश तिवारी)
महाप्रबंधक